(58)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2010 निगरानी — 1074-I/10

1. कन्हैयालाल पिता भुवान
2. श्रीमती मोहनबाई पति कन्हेयालाल निवासीगण ग्राम खात्याखेडी तह. मल्हारगड जिला मंदसौर.....आवेदकगण

विरूद्ध

भेरूलाल पिता धुला जी निवासी ग्राम खात्याखेडी तह. मल्हारगड जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन के आदेश दिनांक 10/6/10 प्रकरण कमांक 63/06–07 निगरानी से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्नलिखित कारणो के आधार पर पुनरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वेध कारण के कलेक्टर के आदेश को यथावत कायम रखने का आदेश देने मे महान वैधानिक त्रुटी की हैं।

4. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने भुमि सर्वे कमांक 249 एवं 348/1 को सही रूप से देखे व शासकीय अभिलेख को देखे बगैर आदेश पारित कर दिया इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधान के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

5. यह कि अधिनस्थ योग्यन्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किए बगैर तथा अधिनस्थ्य न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को देखे बगैर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

6. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधी एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

7. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने भुमि सर्वे कमांक 249 एवं 348/1 को शासकीय भुमि एवं गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र मे है मानने मे गंभीरतम त्रुटी की है।

Contd.....2

R 1074-I/10   जिला मन्दसौर

17.2.16 — आवेदक अधि० श्री दिनेश व्यास द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधि० द्वारा प्रस्तुत Not Press के आवेदन को स्वीकार किया गया है। आवेदक अधि० के निवेदन पर प्रकरण Not Press में समाप्त किया गया है। प्र० दा० द० हो।

सदस्य